अध्याय 3

सरकारी क्षेत्रक योजनाः संसाधन और आवंटन

सिहांवलोकन

3.1 खंड के अध्याय 2 में, दसवीं योजना में 8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) वृद्धि के अनुरूप, सरकारी क्षेत्रक निवेशों के अपेक्षित स्तर का उल्लेख किया गया है। ये अनुमान सरकारी क्षेत्रक योजना संसाधनों के न्यूनतम आकार का आधार हैं जो योजना लक्ष्यों के लिए जुटाए जाने के लिए आवश्यक हैं । इस अध्याय में 2001-2002 कीमतों पर दसवीं योजना के लिए 15,92,300 करोड़ रुपए (पन्द्रह लाख, बानवे हजार और तीन सौ करोड़ रुपए अथवा लगभग 160 खरब रुपए) के सरकारी क्षेत्रक संसाधन पूर्वानुमानित हैं । तुलनीय कीमतों पर यह नौवीं योजना प्राप्ति की तुलना में 67.4 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है । एक संघारणीय ऋणभार सुनश्चित करने तथा निजी बचतों पर सरकारी क्षेत्रक ड्राफ्ट को एक उचित सीमा के अंदर रखने की द्वि-आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रक्षेपित वृद्धि में ऋण संसाधनों का अंशदान केवल 6.6 प्रतिशत बैठता है । परिमिणामस्वरूप, ऋण-भिन्न संसाधनों को, नौवीं योजना प्राप्ति की तुलना में, दसवीं योजना संसाधनों में प्रक्षेपित वृद्धि में 93.4 प्रतिशत का योगदान करना चाहिए।

3.2 यदि नौवीं योजना के प्रक्षेपणों की तुलना में ऋण-भिन्न संसाधनों की असंतोषजनक प्राप्ति को ध्यान में रखा जाना है तो दसवीं योजना लक्ष्य स्तरों तक ऋण-भिन्न संसाधन जुटाना काफी कठिन है, यद्यपि निश्चित रूप से असंभव नहीं है। तथापि, इस संबंध में राजकोषीय सुधारों का महत्व अत्यधिक हो जाता है और दसवीं योजना के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं । जी डी पी अनुपात में कर बढ़ाने, उपभोक्ता प्रभार बढ़ाने, प्रशासन तथा स्थापना पर व्यय को संकुचित करने और सरकारी क्षेत्रक उद्यमों द्वारा वाणिज्यिक सिद्धांतों को अपनाने संबंधी सुधारों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए और उनके समयबद्ध परिणाम प्राप्त होने चाहिए। इस अध्याय में केन्द्र तथा राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के नौवीं योजना निष्पादन की समीक्षा की गई है, दसवीं योजना संसाधनों को प्रक्षेपित किया गया है, नौवीं योजना प्राप्ति स्तरों की तुलना में अपेक्षित वृद्धिकारी प्रयासों का आकलन किया गया है, दसवीं योजना के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ नीतियों का प्रस्ताव किया गया है तथा सरकारी क्षेत्रक योजना संसाधनों का आवंटन दर्शाया गया है।

नौवीं योजना के दौरान केन्द्र के संसाधन

3.3 नौवीं योजना के लिए, 1996-97 कीमतों पर 3,74,000 करोड़ रुपए की केन्द्र की सकल बजटीय सहायता (जी बी एस) का पूर्वानुमान लगाया गया था, जिसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1,70,018 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है । केन्द्रीय सरकार क्षेत्रक इकाइयों (d-l- {k-m-) के 2,85,379 करोड़ रुपए के पूर्वानुमान नौवीं योजना संसाधनों के साथ, केन्द्रीय योजना के लिए उपलब्ध संसाधनों की राशि 4,89,361 करोड़ रुपए तय की गई थी । नौवीं योजना प्राप्ति की दृष्टि से केन्द्र जी बी एस 3,16,286 करोड़ रुपए अथवा प्रक्षेपित स्तर का 84.6 प्रतिशत आंकी गई है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता की प्राप्ति 1,38,394 करोड़ रुपए अथवा प्रक्षेपित स्तर का 81.4 प्रतिशत है । के.स.क्षे.उ. के 2,28,795 करोड़ रुपए के संसाधनों अथवा प्रक्षेपित स्तर के 80.2 प्रतिशत की प्राप्ति के साथ, केन्द्रीय योजना के लिए उपलब्ध संसाधन प्रक्षेपित स्तर के 83.1 प्रतिशत अथवा 1996-97 कीमतों पर 4,06,687 करोड़ रुपए बैठते हैं । तालिका 3.1 में नौवीं योजना संसाधनों के प्रक्षेपण और प्राप्ति तथा केन्द्र द्वारा इसके वित्त पोषण का उल्लेख किया गया है।

3.4 जी बी एस के वित्त पोषण की प्राप्त पद्धति, नौवीं योजना पूर्वानुमानों की तुलना में ऋण-भिन्न अंशदान में महत्वपूर्ण गिरावट को परिलक्षित करती है । जी बी एस में चालू राजस्व शेष (बी सी आर) का हिस्सा, केवल ऋणात्मक 0.7 प्रतिशत के प्रक्षेपित हिस्से के विपरीत ऋणात्मक 49.6 प्रतिशत हो गया । इसलिए बी सी आर अंतर को पाटने के लिए उधारों की प्राप्ति स्तर को 84.7 प्रतिशत के प्रक्षेपित स्तर के विपरीत 144.1 प्रतिशत तक बढ़ाना पड़ा ।

3.5 बी सी आर में 5,544.0 प्रतिशत की गिरावट राजस्व प्राप्तियों का स्तर स्थिर रहने और जी डी पी की तुलना में योजना-भिन्न राजस्व व्यय (एन पी आर ई) में vi{kk l vfekd वृद्धि होने के कारण आई। निवल केन्द्रीय प्राप्तियों में जी डी पी

तालिका 3.1
केन्द्र के नौवीं योजना संसाधन

(1996-97 कीमतों पर करोड़ रुपए)

वित्तपोषण के स्रोत	प्रेक्षपण	प्राप्ति	प्रतिशत प्राप्ति
1. चालू राजस्व से शेष	-2,778 (-0.7)	-1,56,790 (-49.6)	*-5,544.0*
2. उधार, निवल एम सी आर सहित	3,16,760 (84.7)	4,55,624 (144.1)	*143.8*
3. विदेश से निवल प्रवाह	60,018 (16.0)	17,452 (5.5)	*29.1*
4. योजना के लिए सकल बजटीय सहायता (1 से 3)	**3,74,000 (100.0)**	**3,16,286 (100.0)**	***84.6***
5. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता	-1,70,018 (45.5)	-1,38,394 (43.8)	*81.4*
6. केन्द्रीय योजना के लिए जी बी एस (4+5)	**2,03,982**	**1,77,892**	***87.2***
7. सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के संसाधन	2,85,379	2,28,795	*80.2*
8. केन्द्रीय योजना के लिए संसाधन (6+7)	**4,89,361**	**4,06,687**	***83.1***

टिप्पणी : कोष्ठक में दी गई संख्या योजना के लिए जी बी एस की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

की तुलना में 0.43 प्रतिशतांक की गिरावट आई जो 1996-97 में 9.23 प्रतिशत से 2001-02 में 8.80 प्रतिशत हो गई । कर राजस्व (निवल) में एक प्रतिशतांक से अधिक की गिरावट आई जो 1996-97 में 6.85 प्रतिशत से 2001-02 में 5.80 प्रतिशत हो गया । कर राजस्व (निवल) में गिरावट की इसी अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व 2.38 प्रतिशत से 3.07 प्रतिशत तक बढ़ने पर 0.69 प्रतिशतांक की वृद्धि से क्षतिपूर्ति नहीं हो सकी । कर राजस्व (निवल) में 1.05 प्रतिशतांक गिरावट के विपरीत, केन्द्र का सकल कर राजस्व 1.21 प्रतिशतांक तक कम हो गया जो 1996-97 में 9.41 प्रतिशत से 2001-02 में 8.20 प्रतिशत हो गया । इसका अर्थ है कि केन्द्रीय वित्त के संबंध में सकल केन्द्रीय कर राजस्व में गिरावट कुछ सीमा तक राज्यों के साथ बांटी गई ।

3.6 जी डी पी की दृष्टि से सकल केन्द्रीय कर राजस्व में गिरावट से निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में चिंता पैदा होती हैः-

- कर आधार में संकुचन, जैसा कि सेवा कर आधार के अपर्याप्त कवरेज में निहित है ।
- विभिन्न प्रकार की कर रियायतों और छूटों में वृद्धि ।
- कर दरों के ऊपरी ओर समायोजना के बगैर संशोधित मूल्यवर्धित कर के कवरेज में वृद्धि ।
- कर प्रशासन की सामान्य ढील जिसके फलस्वरूप राजस्व क्षरण हुआ ।

3.7 एन पी आर ई में जी डी पी के 1.30 प्रतिशतांक तक तेज वृद्धि हुई जो 1996-97 में 9.30 से 2001-02 में 10.60 प्रतिशत तक हो गया । इस वृद्धि का ब्यौरा संक्षेप में तालिका 3.2 में दिया गया है।

3.8 एन पी आर ई में लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि का कारण पेंशन और वेतन अंशयगियों में वृद्धि होना था जो पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण थी। सब्सिडियों व अन्य एन पी आर ई में वृद्धि के साथ-साथ जिसमें मुख्य रूप से रक्षा शामिल है बी सी आर में बड़ी गिरावट, केन्द्र की राजस्व प्राप्तियों के स्थिर स्तरों का परिणाम थी। अंतर को पाटने के लिए उधारों में वृद्धि करनी पड़ी जिससे बाद में ब्याज भार बढ़ गया तथा एन पी आरई में और वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप बी सी आर में गिरावट आई । नौवीं योजना के दौरान ब्याज अदायगियों में वृद्धि का हिस्सा कुल एन पी आर ई वृद्धि का एक-चौथाई था।

3.9 ऋण-परिशोधन भार, राजस्व प्राप्तियों में से ब्याज

अदायगियों की प्रतिशतता द्वारा यथा परिलक्षित, 1996-97 में 47.1 प्रतिशत से बढ़कर 2001-02 में 50.5 प्रतिशत हो गया, जो केन्द्र ऋण भार की दुर्बल संघारणीयता पर प्रकाश डालता है । केन्द्र का ऋण भार इसी अवधि के दौरान लगभग 8 प्रतिशतांक बढ़ गया जो जी डी पी के 49.4 प्रतिशत से 57.5 प्रतिशत हो गया। केन्द्र का सकल राजकोषीय घाटा,

तालिका 3.2
केन्द्र का एन पी आर ई और इसके संघटक

(जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में)

मद	1996-97	2001-02	वृद्धि
1. ब्याज	4.35	4.69	0.34
2. पेंशन	0.37	0.64	0.27
3. वेतन	0.48	0.76	0.28
4. सब्सिडियां	1.13	1.33	0.20
5. अन्य एन पी आर ई	2.97	3.18	0.21
6. (जोड़) एन पी आर ई	9.30	10.60	1.30

जिसकी वजह से यह हुआ, 1996-97 में जी डी पी के 4.88 प्रतिशत से बढ़कर 2001-02 में 5.76 प्रतिशत हो गया, अर्थात 0.88 प्रतिशतांक की वृद्धि । परिणामस्वरूप, जी बी एस के वित्त पोषण के लिए वित्त पोषण प्रक्षेपित स्तर से 43.8 प्रतिशत ऊंचा था।

3.10 पूर्वानुमान था कि सरकारी खाते में विदेश से निवल प्रवाह से जिसका प्रयोग विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ई ए पी) के वित्त पोषण हेतु किया जाता है, नौवीं योजना में जी बी एस के 16.0 प्रतिशत का योगदान होगा। किन्तु इसकी प्राप्ति लक्ष्य की 29.1 प्रतिशत हुई जिससे योजनागत संसाधनों में इसका प्राप्ति हिस्सा कम होकर 5.5 प्रतिशत हो गया। विदेश से निवल प्रवाह में गिरावट का कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, जो पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद लगाए गए थे तथा घरेलू संसाधनों के माध्यम से ई ए पी परियोजनाओं के प्रतिपक्ष वित्त पोषण हेतु अपर्याप्त व्यवस्था बताई गई है।

3.11 केन्द्र की जी बी एस की कम प्राप्ति के अनुसरण में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में भी लगभग 81.4 प्रतिशत की उपलब्धि का ऐसा ही स्तर रिकार्ड किया गया। जी बी एस की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय सहायता, जो 45.5 प्रतिशत पर प्रक्षेपित थी, कम होकर 43.8 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। केन्द्रीय सहायता की मात्रा के संबंध में घटती हुई जी बी एस का आनुपातिक प्रभाव स्पष्टतः यहां देखा जा सकता है।

3.12 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता को हिसाब में लेने के बाद, पूर्वानुमान था कि केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के लिए शेष जी बी एस केन्द्रीय योजना संसाधनों की 41.7 प्रतिशत होगी । के.स.क्षे.उ. के आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों (आई ई बी आर) से 58.3 प्रतिशत के शेष हिस्से की व्यवस्था हुई। नौवीं योजना में आई ई बी आर का प्राप्ति हिस्सा 56.3 प्रतिशत आकलित किया गया है, जो कुल मिलाकर जी बी एस के समान ही गिरावट का संकेत देता है। निरपेक्ष दृष्टि से आई ई बी आर की प्राप्ति 80.2 प्रतिशत थी। के.सं.क्षे.उ. की प्रचालनात्मक अक्षमताओं की वजह से आंतरिक संसाधनों की कम प्राप्ति हुई।

केन्द्र के दसवीं योजना (2002-07) संसाधनों का पूर्वानुमान

3.13 दसवीं योजना के दौरान 8 प्रतिशत जी डी पी विकास प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्रक निवेशों में वृद्धि करने की आवश्यकताओं के अनुरूप केन्द्र का जी बी एस, 2001-02 में जी डी पी के 4.33 प्रतिशत से 2006-07 मं 5.39 प्रतिशत बढ़ने का पूर्वानुमान है । इस प्रकार, दसवीं योजना का पूर्वानुमानित औसत जी बी एस, जी डी पी का 4.93 प्रतिशत बैठता है जबकि नौवीं योजना के दौरान प्राप्ति 4.02 प्रतिशत थी ।

3.14 राजकोषीय संघारणीयता के आधारों की मांग है कि दसवीं योजना के लिए जी बी एस के वित्त पोषण के संबंध में ऋण वित्त पोषण में कटौती की जाए । तदनुसार, सकल राजकोषीय घाटा, जो 2001-02 में जी डी पी का 5.90 प्रतिशत था, कम होकर 2006-07 में 4.32 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिससे 4.73 प्रतिशत का दसवीं योजना औसत प्राप्त होगा । नौवीं योजना औसत प्राप्ति 5.82 प्रतिशत थी। सकल राजकोषीय घाटा अपने उधारों में निहित है, जिसमें निवल विविध पूंजी प्राप्तियां (एम सी आर) शामिल हैं । एम सी आर सहित स्वयं के उधार दसवीं योजना में जी डी पी के 4.78 प्रतिशत पूर्वानुमानित हैं, जो नौवीं योजना के दौरान प्राप्त 5.78 प्रतिशत से कम हैं। विदेश से निवल प्रवाह, विदेशी सहायता के रूप में, जी डी पी के 0.19 प्रतिशत के पूर्वानुमानित हैं, जो नौवीं याजना के दौरान प्राप्त 0.22 प्रतिशत से मामूली से कम है।

3.15 बी सी आर का आकलन जी डी पी के 0.04 प्रतिशत के थोड़ से नकारात्मक के रूप में किया गया है जबकि नौवीं योजना में नकारात्मक 1.98 प्रतिशत प्राप्त हुआ था। इस सीमा तक बी सी आर प्राप्त करने के वास्ते केन्द्रीय राजस्व(निवल), 2001-02 में जी डी पी के 8.80 प्रतिशत से बढ़कर 2006-

07 में 9.98 प्रतिशत होना चाहिए, अर्थात 1.18 प्रतिशतांक की वृद्धि। एन पी आर ई, 2001-02 में जी डी पी के 10.60 प्रतिशत से कम होकर 9.06 प्रतिशत होना चाहिए, अर्थात 1.54 प्रतिशतांक की कमी । इस प्रकार, दसवीं योजना के दौरान बी सी आर में 2.72 प्रतिशतांक का सुधार मुख्यतः एन पी आर के संकुचन द्वारा प्राप्त करने का प्रयास है।

3.16 दसवीं योजना के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र के जी बी एस के 42.5 प्रतिशत पर पूर्वानुमानित है। जी डी पी की तुलना में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता दसवीं योजना में 2.09 प्रतिशत पूर्वानुमानित है, अर्थात नौवीं योजना के दौरान प्राप्त 1.76 प्रतिशत से अधिक। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता को घटाने के पश्चात केन्द्रीय योजना के लिए उपलब्ध जी.बी.एस. सकल घरेलू उत्पाद का 2.82 प्रतिशत बैठता है जो नौवीं योजना की 2.26 प्रतिशत की उपलब्धि से 0.56 प्रतिशत अधिक है।

3.17 सरकारी क्षेत्रक निवेश और बचत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, के.स.क्षे.उ. के आई आर, दसवीं योजना में जी डी पी के 2.85 प्रतिशत पर आंके गए हैं, अर्थात नौवीं योजना के दौरान प्राप्त 2.15 प्रतिशत से अधिक । रेलवे और विद्युत क्षेत्रक के.स.क्षे.उ. को इस लक्ष्य की प्राप्ति के वास्ते अपनी प्रचालनात्मक कार्यकुशलता बढ़ानी चाहिए। के.स.क्षे.उ. के बजट-बाह्य संसाधन (ई बी आर), जी डी पी के 0.75 प्रतिशत पर पुर्वानुमानित हैं, वहीं जो स्तर नौवीं योजना में प्राप्त हुआ था। इस प्रकार के.स.क्षे.उ. के आई ई बी आर दसवीं योजना में जी डी पी के 3.60 प्रतिशत आकलित है।

3.18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता कम करके जी बी एस 2.79 प्रतिशत पूर्वानुमानित हैं तथा के.स.क्षे.उ. के आई ई बी आर 3.60 प्रतिशत संकेतित है, केन्द्रीय योजना के लिए उपलब्ध संसाधन जी डी पी के 6.39 प्रतिशत पर आकलित किए गए हैं, जो नौवीं योजना के दौरान प्राप्त 5.16 प्रतिशत से अधिक है, अर्थात 1.23 प्रतिशतांक की वृद्धि । तालिका 3.3 से केन्द्र के संसाधनों और दसवीं योजना में उसके पोषण का पता चलता है।

3.19 केन्द्र का जी बी एस, 2001-02 कीमतों पर 7,06,000 करोड़ रुपए आकलित है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 3,00,265 करोड़ रुपए बैठती है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता काटने के बाद, केन्द्रीय योजना के लिए उपलब्ध जी बी एस, 2001-02 कीमतों पर 4,05,735 करोड़ रुपए है । के.स.क्षे.उ. के 2001-02 कीमतों पर 5,15,556 करोड़ रुपए के आई ई बी आर के साथ, केन्द्रीय योजना के लिए उपलब्ध कुल संसाधन 2001-02 कीमतों पर 9,21,291 करोड़ रुपए पूर्वानुमानित हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों ने 4,87,448 करोड़ रुपए के आई ई बी आर का उल्लेख किया है, जो अपेक्षित आई ई बी आर की तुलना में 28,108 करोड़ रुपए कम है। केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा फिलहाल बताए गए आई ई बी आर, यदि उन्हें पूर्वानुमानित आई ई बी आर के स्थान पर लिया जाए तो दसवीं योजना के लिए केन्द्रीय संसाधन कम होकर 8,93,183 करोड़ रुपए हो जाते हैं।

तालिका 3.3

केन्द्र के दसवीं योजना संसाधनों का पूर्वानुमान

(2001-02 कीमतों पर करोड़ रुपए)

	वित्तपोषण के स्रोत	पूर्वानुमान
1.	चालू राजस्व से शेष (बी सी आर)	-6,385 (-0.9)
2.	निवल एम सी आर सहित उधार	6,85,185 (97.0)
3.	विदेश से निवल प्रवाह	27,200 (3.9)
4.	**योजना के लिए सकल बजटीय सहायता (1 से 3)**	**7,06,000 (100.0)**
5.	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता	-3,00,265 (42.5)
6.	**केन्द्रीय योजना के लिए जी बी एस (4+5)**	**4,05,735**
7.	**सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के संसाधन**	5,15,556
	7.1. आंतरिक संसाधन	4,09,000
	7.2. बजट-बाह्य संसाधन	1,06,556
8.	**केन्द्रीय योजना के लिए संसाधन (6+7)**	**9,21,291**

टिप्पणीः- कोष्ठक में दी गई संख्या, योजना के लिए जी बी एस का प्रतिशत है ।

तालिका 3.4

केन्द्र के संसाधनों के दसवीं योजना पूर्वानुमान और नौवीं योजना प्राप्ति

(जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में)

वित्तपोषण के स्रोत	नौवीं योजना प्राप्ति	दसवीं योजना पूर्वानुमान	वृद्धि (+) कमी (-)
1. चालू राजस्व से शेष (बी सी आर)	-1.98	-0.04	(+) 1.94
2. निवल एम सी आर सहित उधार	5.78	4.78	(-) 1.00
3. विदेश से निवल प्रवाह	0.22	0.19	(-) 0.03
4. योजना के लिए सकल बजटीय सहायता	4.02	4.93	(+) 0.91
5. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता	-1.76	-2.09	(-) 0.33
6. केन्द्रीय योजना के लिए जी बी एस (4+5)	**2.26**	**2.84**	**(+) 0.57**
7. सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के संसाधन	2.90	3.60	(+) 0.70
7.1. आंतरिक संसाधन	2.15	2.85	(+) 0.70
7.2. बजट-बाह्य संसाधन	0.75	0.75	-
8. केन्द्रीय योजना के लिए संसाधन (6+7)	**5.16**	**6.44**	**(+) 1.27**

3.20 तालिका 3.3 में यथापरिकल्पित वित्त पोषित पद्धति एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसकी सीमा का अनुमान, नौवीं योजना के प्राप्ति के साथ दसवीं योजना के पूर्वानुमानित स्तरों की तुलना करके लगाया जा सकता है। तालिका 3.4 में, जी डी पी की दृष्टि से केन्द्र के संसाधनों का दसवीं योजना पूर्वानुमान और नौवीं योजना प्राप्ति दर्शाई गई है।

3.21 इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाक्स 3.1 में दिए गए उपाय आवश्यक होंगे।

बाक्स 3.1

- आय कर प्रशासन के सुधरे प्रवर्तन को सुकर बनाने के लिए आय कर पद्धति का व्यापक कंप्यूटरीकरण और मौद्रिक लेन-देन में कर विनिर्धारण संख्याओं का सार्वजनिक उपयोग।
- निगमित कर के अंतर्गत अनावश्यक छूटों के संबंध में नीतिगत मार्गनिर्देश जारी रहने चाहिए जिससे कि निगमित आय, जो कराधान के अधीन है, कंपनियों द्वारा यथा घोषित बुक लाभ के आस-पास रहे।
- विद्यमान छूटों, विशेष रूप से लघु उद्योगों के तहत छूटों के संबंध में और अधिक कठोरता बरतते हुए, धीरे-धीरे एक वास्तविक एकल उत्पाद शुल्क की ओर बढने की वर्तमान नीति, कर अनुपालन सुधार करने की दृष्टि से, जारी रहनी चाहिए ।
- संघीय उत्पाद शुल्क पद्धति के तहत सेवा कर की व्याप्ति का निरंतर रूप से विस्तार किया जाना चाहिए ताकि कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था की अधिक व्याप्ति के माध्यम से कहीं अधिक कर उत्प्लावकता प्राप्त की जा सके ।
- राज्य स्तर पर "वाट" का विस्तार, केन्द्रीय "वाट" के साथ इसके एकीकरण को सुकर बनाने तथा विभिन्न कर प्राधिकारियों द्वारा आरोपित कर दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए, शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए ।
- शीर्ष सीमा शुल्क टैरिफ को लगातार कम किया जाना चाहिए जिससे कि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ इसका अधिक एकीकरण gk और परिणामतः आयातों की बड़ी मात्रा के माध्यम से सीमा शुल्क राजस्व बढ़ाना सुकर हो सके क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विस्तार से इसमें बढ़ोत्तरी होगी ।
- प्रयोक्ता प्रभार में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि लागत के वसूली स्तर प्राप्त हो सकें तथा आम जनता को आश्वस्त पद्धति उनके अपने हित में होगी, संचार अभियान द्वारा स्वीकार्य बनाया जाना चाहिए।

- व्यय सुधार आयोग द्वारा उर्वरक सब्सिडी में धीरे-धीरे कटौती करके और एन पी आर ई को कम करने के लिए पैट्रोलियम सब्सिडी को पूर्णतः समाप्त करने का जो मार्ग प्रशस्त किया गया है, उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम के डिजाइन में परिवर्तन किया जाना चाहिए जिससे कि खाद्य सब्सिडी को कम करने और साथ ही प्रभावी ढंग से काम करने के वास्ते न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार की बजाए काम के लिए खाद्य कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए।
- सरकार के वेतन और भत्तों में कटौती निरंतर की जानी चाहिए क्योंकि पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन को देखते हुए, स्टाफ को कम करना एन पी आर ई को कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- भारतीय रेलवे और विद्युत क्षेत्रक के.स.क्षे.उ.के प्रचालन कार्यकुशलता में सुधार किया जाना चाहिए जिससे कि अंततः सभी बजटीय सहायता को समाप्त किया जा सके और देश में परिवहन तथा विद्युत सुविधाओं का विस्तारा करने के लिए पर्याप्त आंतरिक संसाधन जुटाए जा सकें ।

नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधन

3.22 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नौवीं योजना संसाधन 1996-97 कीमतों पर 3,69,839 करोड़ रुपए प्रक्षेपित किए गए थे। तुलनीय कीमतों पर, प्राप्ति 2,99,131 करोड़ रुपए अथवा प्रक्षेपित स्तर के 80.9 प्रतिशत की थी। तथापि, वित्त पोषण की प्राप्ति पद्धति, प्रक्षेपित स्तरों से काफी भिन्नता प्रदर्शित करती है। तालिका 3.5 में नौवीं योजना संसाधनों के प्रक्षेपण तथा प्राप्ति व उनके वित्त पोषण के स्रोत सारांश में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.5

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नौवीं योजना संसाधन

(1996-97 कीमतों पर करोड़ रुपए)

वित्तपोषण के स्रोत	प्रक्षेपण	प्राप्ति	% वृद्धि
1. चालू राजस्व शेष	1,372 (0.4)	-1,06,962 (-35.8)	*-7,896.1*
2. सरकारी क्षेत्र उद्यमों के संसाधन	55,030 (15.0)	52,107 (17.4)	*94.7*
2.1. आंतरिक संसाधन	14,890 (4.1)	-35,416 (-11.8)	*-337.9*
2.2. बजट-बाह्य संसाधन	40,140 (10.9)	87,523 (29.2)	*218.0*
3. निवल एम सी आर सहित उधार	1,43,419 (38.6)	2,15,592 (72.1)	*150.3*
4. राज्यों के स्वयं के संसाधन (1 से 3)	**1,99,821 (54.0)**	**1,60,737 (53.7)**	***80.4***
5. केन्द्रीय सहायता	1,70,018 (46.0)	1,38,394 (46.3)	*81.4*
6. कुल योजनागत संसाधन (6+7)	**3,69,839 (100.0)**	**2,99,131 (100.0)**	***80.9***

नोटः- कोष्ठक में दी गई संख्या, कुल योजना संसाधन का प्रतिशत है ।

3.23 जैसाकि तालिका में दर्शाया गया है, बी सी आर में 7,896.1 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे योजना संसाधनों से काफी उधार खप गए । इसलिए उधारों में प्रक्षेपित स्तर से 150.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे कि योजनागत संसाधनों को कुछ समर्थन प्रदान किया जा सका। नौवीं योजना में ऋण-भिन्न से ऋण वित्त पोषण की दिशा में काफी बदलाव आया। बी सी आर द्वारा परिलक्षित ऋण-भिन्न वित्त पोषण में, जिससे थोड़ा अधिशेष के योगदान की उम्मीद की गई थी, ऋणात्मक 35.8 प्रतिशत का योगदान प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप, उधारों का योगदान, जिसका 38.6 प्रतिशत का प्रक्षेपण किया गया था, नौवीं योजना संसाधनों का 72.1 प्रतिशत रहा।

3.24 उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि बी सी आर में गिरावट राजस्व और व्यय सम्बद्ध कमियों, दोनों का ही परिणाम है। एन पी आर ई में वृद्धि, नौवीं योजना अवधि के दौरान चालू राजस्व में वृद्धि की तुलना में काफी अधिक थी। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन ने एन पी आर ई की तीव्र वृद्धि में काफी योगदान किया। अकेले एक वर्ष में वेतन तथा पेंशन अदायगियों में वेतन आयोग पूर्व स्तर से लगभग एक-तिहाई की वृद्धि हुई। इस प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता था किन्तु स्टाफ संख्या को कम करने की असमर्थता रही। इसके अलावा, नौवीं योजना के अंतिम वर्ष में ब्याज अदायगियों में, बड़ी मात्रा में उधार जुटाने के कारण निरपेक्ष दृष्टि से आधार वर्ष स्तर से ढाई गुणा तक की वृद्धि हुई।

3.25 राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से में नौवीं योजना अवधि के दौरान जी डी पी के 0.14 प्रतिशतांक तक कमी आई। इसका कारण औद्योगिक मंदी थी, जिससे संघीय उत्पाद शुल्क राजस्व में वृद्धि की दिशा में उत्प्लावकता प्राप्त नहीं हो सकी। कर दरों के ऊपरी ओर समायोजन के अनुरूप के बिना "मोडवाट" के कवरेज में विस्तार के कारण राजस्व हानियों को भी जी डी पी की दृष्टि से केन्द्र के सकल कर राजस्व के गिरते अनुपात का एक और कारण बताया जाता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्वयं के कर राजस्व भी प्रथम के उत्प्लावकता कारक को पार करने में असमर्थ रहे। औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए, कर दरों को कम करने तथा साथ ही प्रदत्त अनेक राजकोषीय रियायतों के फलस्वरूप भी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से भी उनके स्वयं के कर राजस्व को बढ़ाने में मदद नहीं मिली । खनिजों पर रायल्टी दरें बढ़ाने की केन्द्र की असमर्थता के कारण उनके स्वयं के कर भिन्न राजस्व को बढ़ाने में मदद नहीं मिली। राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सिंचाई व अन्य विभागीय सेवाओं पर प्रयोक्ता भार पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा सके।

3.26 राज्य सरकार क्षेत्रक उद्यमों (रा. स. क्षे. उफ.) के संसाधनों का योगदान प्रक्षेपित स्तर का 94.7 प्रतिशत प्राप्त हुआ। तथापि, प्राप्ति 100 प्रतिशत से अधिक होती यदि आई आर में गिरावट न आई होती । ऋ- ७- प्द्- ध्र- के आई आर से, जिनसे योजना संसाधनों के 4.1 प्रतिशत के योगदान का पूर्वानुमान था, ऋणात्मक 11.8 प्रतिशत के योगदान की प्राप्ति हुई। आई आर में लगभग 16 प्रतिशतांक की गिरावट का वित्त पोषण मुख्य रूप से स.क्षे.उ. के ई बी आर में वृद्धि करके किया गया । योजना संसाधनों के लिए ई बी आर के योगदान में, जिसका 10.9 प्रतिशत का पूर्वानुमान लगाया गया था, 29.2 प्रतिशत की प्राप्ति हुई, जो लगभग 19 प्रतिशतांक की वृद्धि का द्योतक है।

3.27 आई आर में गिरावट से राज्य विद्युत बोर्डो (ऋ-ढदृ-हत्द्भ्इ) के असंतोषजनक निष्पादन का पता चलता है, जिनकी चालू लागत, चालू राजस्व द्वारा कवर किए जाने में अधिकाधिक असमर्थ रही है। प्रशासन और स्थापना पर अनुत्पादक व्यय में, प्रयोक्ता प्रभारों में तदनुरूपी वृद्धि के बिना, तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसी बातों से विद्युत क्षेत्रक सुधारों के महत्व में वृद्धि होती है, जिनसे रा.वि. बोर्ड अपनी परिसंपत्तियों पर कम से कम 3 प्रतिशत का अर्जन करने में समर्थ हो सकते हैं।

3.28 आई आर में विशाल गिरावट के बावजूद, नौवीं योजना पूर्वानुमानों की तुलना में, योजना संसाधनों के लिए ई बी आर का योगदान तीन गुणा होने का अर्थ, गारंटियों का अविवेकपूर्ण इस्तेमाल है, जिन्हें राज्य सरकारें, उधार जुटाने के लिए रा.स.क्षे.उ. के संबंध में जारी करती हैं। गारंटियां जारी करने में समाहित आकस्मिक देनदारी का भार संभवतः राज्य बजटों पर पड़ेगा यदि रा.स.क्षे.उ. आंतरिक संसाधन जुटाव में सुधार नहीं करें । ऐसी स्थिति में राज्यों के वित्त के राजकोषीय शेषों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

3.29 योजना संसाधनों के लिए उधारों के 38.6 प्रतिशत प्रक्षेपित योगदान के विपरीत, नौवीं योजना में 72.1 प्रतिशत की प्राप्ति हुई, जो लगभग 34.0 प्रतिशतांक की वृद्धि को दर्शाता है। दुर्भाग्यवश उधारों में इतनी बड़ी वृद्धि का प्रयोग, योजना संसाधनों को सुदृढ़ करने की बजाए, बी सी आर अंतर को कम करने के लिए किया गया । उधारों में तीव्र वृद्धि से निजी बचतों पर सरकारी क्षेत्रक ड्राफ्ट में भी वृद्धि हुई जैसा कि जी डी पी की प्रतिशतता में नौवीं योजना के प्रारंभ में 17.8 प्रतिशत से अंत में 25.9 प्रतिशत के रूप में राज्या के बकाया ऋण में वृद्धि में अंतर्निहित है । इसके साथ-साथ ज्यादा ऋण भार असंघारणीय बन गया क्योंकि इसके साथ ही ब्याज अदायगियों की वृद्धि राजस्व में तदनुरूप वृद्धि की अनुरूप नहीं थी। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज अदायगियां नौवीं योजना के प्रारंभ में 16.7 प्रतिशत से बढ़कर अंत में 22.8 प्रतिशत हो गईं।

3.30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता की प्राप्ति प्रक्षेपित स्तर का 81.4 प्रतिशत थी। तथापि, योजना संसाधनों के लिए इसका प्राप्ति योगदान वहीं रहा जो लगभग 54 प्रतिशत का प्रक्षेपित था। नौवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए जी बी एस का महत्व अपरिवर्तित रहा। किन्तु, निरपेक्ष दृष्टि से कमी, केन्द्रीय सहायता के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केन्द्र के बढ़ते बजटीय दबाव के महत्व को प्रकट करती है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के दसवीं योजना (2002-07) संसाधनों का पूर्वानुमान

3.31 दसवीं योजना के दौरान जी डी पी की 8 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्रक निवेश में वृद्धि करने की जरूरत को देखते हुए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए बजटीय संसाधनों में, 2001-02 में जी डी पी के 3.85 प्रतिशत से 2006-07 में 4.20 प्रतिशत तक बढ़ जाने का पूर्वानुमान है । दसवीं पंचवर्षीय योजना का औसत 4.10 प्रतिशत है जबकि नौवीं योजना की प्राप्ति 3.14 प्रतिशत थी।

3.32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राजकोषीय संघारणीयता केन्द्र की अपेक्षा अधिक दुर्बल है तथा उसमें ज्यादा सुधार किए जाने की जरूरत है। तदनुसार, सकल राजकोषीय घाटा, जो 2001-02 में जी डी पी का 4.47 प्रतिशत था, 2006-07 में कम होकर 2.19 प्रतिशत पूर्वानुमानित है, जिससे दसवीं योजना का औसत 3.19 प्रतिशत होगा । नौवीं योजना औसत 3.37 प्रतिशत था। सकल राजकोषीय घाटे का प्रक्षेपित स्तर अपने उधारों में, एम सी आर तथा केन्द्रीय सहायता के ऋण संघटक सहित, अंतर्निहित है। दसवीं योजना में एम सी आर को मिलाकर स्वयं के उधार, जी डी पी के 1.82 प्रतिशत पर आकलित किए गए हैं, जो नौवीं योजना के दौरन प्राप्त 2.74 प्रतिशत से कम हैं। दसवीं योजना में केन्द्रीय सहायता जी डी पी की 2.09 प्रतिशत आकलित की गई है, जो नौवीं योजना के दौरान प्राप्त से 1.76 प्रतिशत अधिक है।

3.33 बी सी आर, जी डी पी का 0.19 प्रतिशत लगाया गया है। इतना बी सी आर प्राप्त करने के वास्ते योजना-भिन्न राजस्व प्राप्तियां, 2001-02 में जी डी पी के 10.27 प्रतिशत से 2006-07 में बढ़कर 11.00 प्रतिशत होनी चाहिए, 0-73 ifr'kr dh of¼ एन पी आर ई 2001-02 में जी डी पी के 12.15 प्रतिशत से कम होकर 10.32 प्रतिशत होना चाहिए, 1.83 प्रतिशतांक की कमी। इस प्रकार, दसवीं योजना के दौरान बी सी आर में 2.56 प्रतिशतांक का सुधार मुख्य रूप से एन पी आर ई के संकुचन से प्राप्त करने का प्रयास है।

3.34 रा.स.क्षे.उ. के आई आर और ई बी आर राज्य सरकारों के परामर्श से तय किए जाते हैं । आई आर में, विशेष रूप से रा.वि.बोर्डों के आई आर में, सुधार करने की जरूरत पर बल दिया गया। तदनुसार, दसवीं योजना के संबंध में जी डी पी के -0.05 प्रतिशत पर, आई आर का पूर्वानुमान लगाया गया, जो नौवीं योजना के दौरान प्राप्त -0.45 प्रतिशत के स्तर से कहीं अधिक बेहतर है । काफी विचार-विमर्श के पश्चात, जिसके अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आकस्मिक देनदारियों में कटौती करने का विचार व्यक्त किया गया, ई बी आर का पूर्वानुमान दसवीं योजना में जी डी पी के 0.63 प्रतिशत पर लगाया गया है, जो नौवीं योजना के दौरान प्राप्ति 1.11 प्रतिशत से कम है । इसलिए दसवीं योजना में रा.स.क्षे.उ. के कुल संसाधनों का पूर्वानुमान जी डी पी का 0.58 प्रतिशत पर लगाया गया है, जो नौवीं योजना के दौरान प्राप्त 0.66 प्रतिशत से कुछ कम है। तालिका 3.6 में दसवीं योजना संसाधनों और दसवीं योजना में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के इसके वित्त पोषण का उल्लेख किया गया है।

3.35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुल योजनागत

तालिका 3.6
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों के दसवीं योजना पूर्वानुमान

(2001-02 कीमतों पर करोड़ रुपए)

वित्तपोषण के स्रोत	दसवीं योजना पूर्वानुमान
1. चालू राजस्व शेष	26,578 (4.0)
2. सरकारी क्षेत्र उद्यमों के संसाधन	82,684 (12.3)
2.1. आंतरिक संसाधन	-7,760 (-1.2)
2.2. बजट-बाह्य संसाधन	90,444 (13.5)
3. निवल एम सी आर सहित उधार	2,61,482 (39.0)
4. राज्यों के स्वयं के संसाधन (1 से 3)	**3,70,744 (55.3)**
5. केन्द्रीय सहायता	3,00,265 (44.7)
6. कुल योजना संसाधन (4 + 5)	**6,71,009 (100.0)**

नोट : कोष्ठक में दी गई संख्या, कुल योजना संसाधनों का प्रतिशत है।

संसाधन 2001-02 कीमतों पर 6,71,009 करोड़ रुपए आकर्षित किए गए हैं, जिनमें 3,70,744 करोड़ रुपए के स्वयं के संसाधन और 3,00,265 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है। कुल समुच्चय योजना संसाधनों में से, बजटीय संसाधन 5,88, 325 करोड़ रुपए तय किए गए हैं।

3.36 एक वित्त पोषण पद्धति, जैसी कि वह परिकल्पित है, एक बृहत कार्य है, जिसकी सीमा का अनुमान दसवीं योजना पूर्वानुमानों की नौवीं योजना प्राप्तियों के साथ तुलना करके लगाया गया है। तालिका 3.7 में, जी डी पी की दृष्टि से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों की नौवीं योजना प्राप्ति तथा दसवीं योजना पूर्वानुमान दर्शाए गए हैं।

3.37 बाक्स 3.2 में वर्णित उपाय ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं ।

3.38 योजना आयोग ने मुख्य दसवीं योजना संसाधनों के पूर्वानुमानों के बारे में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चाएं आयोजित की। मुख्य दसवीं योजना संसाधनों का पूर्वानुमान, जी डी पी की 8 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित स्तर से निम्न स्तर पर था। इसका कारण यह

तालिका 3.7

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों की नौवीं योजना प्राप्ति और दसवीं योजना अनुमान

(जी डी पी के प्रतिशत के रूप में)

वित्तपोषण के स्रोत	नौवीं योजना प्राप्ति	दसवीं योजना पूर्वानुमान	वृद्धि (+) कमी (-)
1. चालू राजस्व शेष	-1.36	0.20	(+)1.56
2. सरकारी क्षेत्र उद्यमों के संसाधन	0.66	0.58	(-) 0.08
2.1. आंतरिक संसाधन	-0.45	-0.05	(+) 0.40
2.2. बजट-बाह्य संसाधन	1.11	0.63	(-) 0.48
3. निवल एम सी आर सहित उधार	2.74	1.82	(-) 0.92
4. राज्यों के स्वयं के संसाधन (1 से 3)	**2.04**	**2.60**	**(+) 0.56**
5. केन्द्रीय सहायता	1.76	2.09	(+) 0.33
6. कुल योजना संसाधन (4 + 5)	**3.80**	**4.69**	**(+) 0.89**

बाक्स 3.2

- कर आधार में सेवाएं शामिल करके, कर छूटों और रियायतों को दूर करके, कर दरों को तर्कसंगत बनाकर, कर प्रशासन को सुदृढ़ करके तथा एक एकीकृत 'वाट' व्यवस्था अपनाकर, केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का कर/जी डी पी अनुपात सुधारना।
- विभागीय सेवाओं का प्रयोक्ता प्रभार बढ़ाकर, प्रशासनिक और स्थापना लागत में कटौती करके खर्च कम करके और निजीकरण तथा खनिजों पर रायल्टी की मूल्यानुसार दरें अपनाने के केन्द्र के उपाय के माध्यम से बजट-आधारित सब्सिडियों में कमी।
- निवल छटाई की नीति अपनाकर स्टाफ की संख्या कम करना और सेवानिवृत्त लाभों व ऋण परिशोधन, स्वःवित्तपोषण जैसी वचनबद्ध अदायगियां करने के लिए पेंशन तथा परिशोधन निधि गठित करना।
- एक 'राजकोषीय जिम्मेदारी तथा बजट प्रबंधन' विधेयक अधिनियमित करना जिसके अंतर्गत उधार चालू स्तरों से जी डी पी अनुपात की दृष्टि से अ-वृद्धिकारी ऋण प्राप्त करने के लिए सीमित होंगे जिससे कि ब्याज अदायगियों का भार कम किया जा सके।
- विद्युत क्षेत्रक l/kjk dk dk;kZUor djd jkT;k d lkotfud {k=k d miØek d vkrfjd llk/uk dk lèkkj vkj jkT; xkjfV;k d eí ij fo/k;h vFkok i'kklfud lhek d ekè;e l jkT; ctVk ij vkdfLed nunkfj;k d Hkkj dk de djukA

आशंका थी थी कि बी सी आर में सुधार, जैसा कि जी डी पी वृद्धि के 8 प्रतिशत परिदृश्य के अंतर्गत अपेक्षित है, प्राप्त नहीं हो सकेगा। इस प्रकार, 8 प्रतिशत वृद्धि परिदृश्य में 0.20 प्रतिशत के बी सी आर के विपरीत मुख्य योजनागत संसाधनों में इसका स्तर ऋणात्मक 0.11 प्रतिशत होने का संकेत दिया गया। इसके अतिरिक्त, इस बात को भी स्वीकारा गया कि केन्द्रीय सहायता का स्तर भी जिसका जी डी पी के 2.09 प्रतिशत का संकेत दिया गया है, उपलब्ध नहीं हो सकेगा यदि केन्द्र का जी बी एस दसवीं योजना प्रक्षेपित स्तरों तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। परिणामस्वरूप, जी डी पी के 1.80 प्रतिशत के केन्द्रीय सहायता स्तर पर तय प्रमुख योजना संसाधन, कुल मिलाकर उसी स्तर पर रहेंगे जो नौवीं योजना में प्राप्त किए गए थे । तालिका 3.8 में प्रमुख योजना परिदृश्य के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के योजना संसाधनों के वित्त पोषण का ब्यौरा दिया गया है।

3.39 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख दसवीं योजना संसाधन 5,90,948 करोड़ रुपए पर पूर्वानुमानित हैं, 8 प्रतिशत जी डी पी वृद्धि परिदृश्य के अनुरूप स्तर से 80,061 करोड़ रुपए के शेष से कम। 8 प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य के अनुरूप होने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 38,553 करोड़ रुपए के स्वयं के संसाधन जुटाने होंगे तथा शेष की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र को 41,508 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता प्रदान करनी होगी। अन्य बातों के साथ-साथ शेष के केन्द्रीय सहायता घटक का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार संवितरण को अपने संसाधन घटक जुटाने में उनकी अपनी-अपनी योग्य क्षमताओं के साथ जोड़ना होगा।

समग्र वित्त पोषण पद्धति

3.40 तालिका 3.9 में केन्द्र और राज्यों तथा संघ राज्य

तालिका 3.8

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख दसवीं योजना संसाधन

(2001-02 कीमतों पर करोड़ रुपए)

वित्तपोषण के स्रोत	राज्य	सं.रा.क्षे. (1)	सं.रा.क्षे. (2)	जोड़
1. चालू राजस्व शेष	-37,099	21,804	-	-15,295
2. सरकारी क्षेत्र उद्यमों के संसाधन	85,566	-2,882	-	-82,684
2.1. आंतरिक संसाधन	-4,878	-2,882	-	-7,760
2.2. बजट-बाह्य संसाधन	90,444	-	-	90,444
3. निवल एम सी आर सहित उधार	2,62,013	2,789	-	2,64,802
4. राज्यों के स्वयं के संसाधन (1 से 3)	**3,10,480**	**21,711**	**-**	**3,32,191**
5. केन्द्रीय सहायता	2,51,093	3,195	4,469	2,58,757
6. कुल योजना संसाधन (4 + 5)	**5,61,573**	**24,906**	**4,469**	**5,90,948**

नोट : संघ राज्य क्षेत्र (1)- विधानमंडल सहित; सं.रा.क्षे. (2)- विधानमंडल jfgr

तालिका 3.9

सरकारी क्षेत्रक योजना के संबंध में संसाधनों की नौवीं योजना प्राप्ति

(1996-97 कीमतों पर करोड़ रुपए)

वित्तपोषण के स्रोत	केन्द्र	राज्य/सं.रा.क्षे.	जोड़
1. चालू राजस्व से शेष	-1,56,790	-1,06,962	-2,63,752
2. निवल एम सी आर सहित सुधार	4,55,624	2,15,592	6,71,216
3. विदेश से निवल प्रवाह	17,452	-	17,452
4. केन्द्र के जी बी एस (1+2+3)	3,16,286	-	-
5. सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के संसाधन	2,28,795	52,107	2,80,902
5.1. आंतरिक संसाधन	1,69,046	-35,416	1,33,630
5.2 बजट-बाह्य संसाधन	59,749	87,523	1,47,272
6. राज्यों के स्वयं के संसाधन (1+2+5)	-	**1,60,737**	-
7. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता	-1,38,394	1,38,394	-
8. सरकारी क्षेत्रक योजना के लिए संसाधन (1+2+3+5+7)	**4,06,687**	**2,99,131**	**7,05,818**

टिप्पणी : केन्द्रीय योजना के लिए उपलब्ध केन्द्र के जी बी एस 1,77,892 करोड़ रुपए बैठते हैं ।

क्षेत्रों के योजनागत संसाधनों के नौवीं योजना प्राप्ति स्तर पुनःदर्शाए गए हैं। सरकारी क्षेत्रक की नौवीं योजना के संबंध में प्राप्त कुल संसाधनों से ऋणात्मक बी सी आर की बड़ी विद्यमानता का पता लगता है, जिसे उधार के संघारणीय उच्च स्तर द्वारा पूरा किया गया है। यदि पूर्वानुमान के अनुरूप बी सी आर की प्राप्ति हुई होती तो संविदाग्रस्त उधारों से पूर्वानुमानित से कहीं अधिक सरकारी क्षेत्रक योजना के संबंध में संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि हो गई होती। उस स्थिति में, समग्र ऋण भार में वृद्धि के साथ-साथ बड़ी मात्रा में सरकारी क्षेत्रक निवेश होता, जिससे सरकार के खपत व्यय के वित्त पोषण के बजाए, अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता का निर्माण होता।

3.41 तालिका 3.10 में दसवीं योजना के संबंध में समग्र संसाधनों के प्रक्षेपण इस धारणा पर आधारित हैं कि ऋणात्मक बी सी आर अंतर समाप्त हो जाएगा, जिससे उधार मात्र रूप से सरकारी क्षेत्रक निवेश के लिए रहेंगे और न कि सरकार के खपत खर्च को पूरा करने के लिए। प्रक्षेपण के अंतर्गत सरकारी क्षेत्रक उद्यमों से, ई बी आर बढ़ाने के लिए आवश्यकता को सीमित रखने के वास्ते, अपने आंतरिक संसाधन पर्याप्त रूप से बढ़ाने की भी अपेक्षा की गई है।

सरकारी क्षेत्रक संसाधनों का आवंटन

3.42 दसवीं योजना के संबंध में सरकारी क्षेत्रक के लिए संसाधनों की प्रक्षेपित आवश्यकता, 2001-02 कीमतों पर 15,92,300 करोड़ रुपए में केन्द्र का 9,21,291 करोड़ रुपए का हिस्सा और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का 6,71,009 करोड़ रुपए का हिस्सा शामिल है । केन्द्रीय योजना के लिए संसाधनों में 4,05,735 करोड़ रुपए का जी बी एस घटक और 5,15,556 करोड़ रुपए का आई ई बी आर घटक शामिल है । केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा फिलहाल यथा मूल्यांकित आई ई बी आर घटक 4,87,448 करोड़ रुपए है जो दसवीं योजना में जी डी पी की 8 प्रतिशत वृद्धि के साथ अनुरूप स्तर से 28,108 करोड़ रुपए कम है । इस प्रकार, केन्द्रीय क्षेत्रक में संसाधन आवंटन 8,93,183 करोड़ रुपए है जिसे संलग्नक 3-क में दर्शाया गया है तथा बजटीय सहायता और आई ई बी आर के ब्यौरे संलग्नक 3-ख में दिए गए हैं।

3.43 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रकों के दसवीं योजना संसाधन 2001-02 कीमतों पर 6,71,009 करोड़ रुपए पूर्वानुमानित हैं। किन्तु, मुख्य योजना अनुमान, 5,90,948 करोड़ रुपए के संसाधन आंकड़े दर्शाते हैं, जिससे 80,061

तालिका 3.10
सरकारी क्षेत्रक योजना के लिए संसाधनों के दसवीं योजना पूर्वानुमान

(2001-02 कीमतों पर करोड़ रुपए)

वित्तपोषण के स्रोत	केन्द्र	राज्य/सं.रा.क्षे.	जोड़
1. चालू राजस्व से शेष	-6,385	26,578	20,193
2. निवल एम सी आर सहित सुधार	6,85,185	2,61,482	9,46,667
3. विदेश से निवल प्रवाह	27,200	-	27,200
4. केन्द्र के जी बी एस (1+2+3)	**7,06,000**	**-**	**7,06,000**
5. सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के संसाधन	5,15,556	82,684	5,98,240
5.1. आंतरिक संसाधन	4,09,000	-7,760	4,01,240
5.2 बजट-बाह्य संसाधन	1,06,556	90,444	1,97,000
6. राज्यों के स्वयं के संसाधन (1+2+5)	**-**	**3,70,744**	**-**
7. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता	-3,00,265	3,00,265	-
8. सरकारी क्षेत्रक योजना के लिए संसाधन (1+2+3+5+7)	**9,21,291**	**6,71,009**	**15,92,300**

टिप्पणी : केन्द्रीय योजना के लिए उपलब्ध केन्द्र के जी बी एस 4,05,735 करोड़ रुपए बैठते हैं ।

करोड़ रुपए का शेष रह जाता है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रकों में क्षेत्रकीय आवंटनों में मुख्य योजना संसाधन और अतिशेष का केन्द्रीय सहायता घटक, जो 41,508 करोड़ रूपए है शामिल है। यह घटक योजना आयोग द्वारा विनिर्धारित कतिपय क्रांतिक क्षेत्रकों के लिए किया गया है। शेष के स्वयं के संसाधन घटक का आवंटन जो 38,553 करोड़ रुपए है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसे वास्तविक रूप से जुटाए जाने तक रुका रहेगा। फलस्वरूप, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रकों में क्षेत्रकीय आवंटन 6,32,456 करोड़ रुपए आकलित किया गया है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रक में यह आवंटन संलग्नक 3-क में दर्शाया गया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रकवार प्रमुख योजना विवरण संलग्नक 3-ग में प्रस्तुत है । संलग्नक 3-घ में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रक में शेष का केन्द्रीय सहायता घटक का ब्यौरा दर्शाया गया है।

3.44 इस प्रकार, दसवीं योजना के लिए 15,92,300 करोड़ रुपए के सरकारी क्षेत्रक संसाधनों के विपरीत, कुल आवंटन 15,25,639 करोड़ रुपए है। तालिका 3.11 में सरकारी क्षेत्रक दसवीं योजना के संसाधनों और आवंटन का उल्लेख किया गया है।

तालिका 3.11

सरकारी क्षेत्रक संसाधन और आवंटन - दसवीं योजना (2002-07)

(2001-02 कीमतों पर करोड़ रुपए)

वित्तपोषण के स्रोत	अपेक्षित	आबंटित
केन्द्र		
1. बजटीय समर्थन	4,05,735	4,05,735
2. आई ई बी आर	5,15,556	4,87,448
3. जोड़ - केन्द्र (1+2)	**9,21,291**	**8,93,183**
राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र		
4. प्रमुख योजना	5,90,948	5,90,948
5. शेष (5.1+5.2)	80,061	41,508
5.1 स्वयं के संसाधन	38,553	-
5.2 केन्द्रीय सहायता	41,508	41,508
6. जोड़ - राज्य और सं.रा.क्षे. (4+5)	**6,71,009**	**6,32,456**
जोड़ सरकारी क्षेत्रक		
7. कुल जोड़ (3+6)	**15,92,300**	**15,25,639**

अनुलग्नक-3क

lkotfud {k=kd lalk/uk dk {k=kdh; vkcVu] ukoh ;kstuk dh miyfC/ (1997&2002) vkj nloh ;kstuk (2002&07) d vuqeku

(2001-02 कीमतों पर करोड़ रुपए)

		केन्द्र									राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र			केन्द्र, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र		
	विकास शीर्ष	बजटीय सहायता			आई ई बी आर			कुल परिव्यय			कुल परिव्यय			कुल परिव्यय		
		नौवीं योजना प्राप्ति	दसवीं योजना प्रक्षेपण	% वृद्धि	नौवीं योजना प्राप्ति	दसवीं योजना प्रक्षेपण	% वृद्धि	नौवीं योजना प्राप्ति	दसवीं योजना प्रक्षेपण	% वृद्धि	नौवीं योजना प्राप्ति	दसवीं योजना प्रक्षेपण	% वृद्धि	नौवीं योजना प्राप्ति	दसवीं योजना प्रक्षेपण	% वृद्धि
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	12008	21068	*75.4*	-	-	-	12008	21068	*75.4*	25231	37865	*50.1*	37239	58933	*58.3*
2.	ग्राम विकास	56404	79724	*41.3*	-	-	-	56404	79724	*41.3*	32561	42204	*29.6*	88965	121928	*37.1*
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5408	20879	*286.1*	5408	20879	*286.1*
4.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1955	3600	*84.1*	-	-	-	1955	3600	*84.1*	67875	99715	*46.9*	69830	103315	*48.0*
5.	ऊर्जा	25632	51600	*101.3*	118757	266583	*124.5*	144389	318183	*120.4*	74854	85744	*14.5*	219243	403927	*84.2*
6.	उद्योग और खनिज	7362	11786	*60.1*	26102	28586	*9.5*	33464	40372	*20.6*	11231	18567	*65.3*	44695	58939	*31.9*
7.	परिवहन	36784	65350	*77.7*	61627	82098	*33.2*	98411	147448	*49.8*	44838	78529	*75.1*	143249	225977	*57.8*
8.	संचार	3559	7944	*123.2*	89263	91012	*2.0*	92822	98956	*6.6*	14	12	*-14.3*	92836	98968	*6.6*
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	14563	27570	*89.3*	11	-	-	14574	27570	*89.2*	1093	2854	*161.1*	15667	30424	*94.2*
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	4091	10587	*158.8*	960	500	*-47.9*	5051	11087	*119.5*	8683	27543	*117.2*	13734	38630	*181.3*
11.	सामाजिक सेवाएं	64927	120333	*85.3*	11215	18669	*66.5*	76142	139002	*82.6*	118387	208389	*76.0*	194529	347391	*78.6*
12.	सामान्य सेवाएं	5987	6173	*3.1*	-	-	-	5987	6173	*3.1*	9659	10155	*5.1*	15646	16328	*4.4*
	जोड़	**233272**	**405735**	***73.9***	**307935**	**487448**	***58.3***	**541207**	**893183**	***85.0***	**399834**	**632456**	***58.2***	**941041**	**1525639**	***62.1***

lkr % 1-dUnh; e=kky;k }kjk lfpr dkj vkb b ch vkj tk fd 28]108 djkM #i; g] ;g nloh ;kstuk e 8% th- Mh- ih- d ifr'kr of¼ d Lrj tk fd 51]555 djkM #i; g d Lrj l de gA

2- ble jkT;k@l?k jkT; {k=kk d dkj ;kstuk lalk/uk dk 5]90]948 djkM #- dk vkcVu rFkk ;kstuk vk;kx }kjk iLrkfor vfrfjDr 41]508 djkM #- dk ifj.;; 'kkfey gA

अनुलग्नक 3 ख

केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों के लिए बजटीय सहायता, आई.ई.बी.आर. तथा परिव्ययः नौवी योजना प्राप्ति तथा दसवीं योजना प्रक्षेपण

(2001-02 कीमतों पर करोड़ रू.)

क्रम सं.	मंत्रालय / विभाग	बजटीय समरथन: नौवी योजना प्राप्ति	बजटीय समरथन: दसवीं योजना प्रक्षेपण	बजटीय समरथन: % वृद्धि	आई ई बी आर: नौवी योजना प्राप्ति	आई ई बी आर: दसवीं योजना प्रक्षेपण	आई ई बी आर: % वृद्धि	कुल परिव्यय: नौवी योजना प्राप्ति	कुल परिव्यय: दसवीं योजना प्रक्षेपण	कुल परिव्यय: % वृद्धि
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	कृषि और सहकारिता	8308	13200	58.9	-	-	-	8308	13200	58.9
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2673	5368	100.8	-	-	-	2673	5368	100.8
3.	पशुपालन और डेरी उद्योग	1027	2500	143.4	-	-	-	1027	2500	143.4
4.	कृषि और ग्राम उद्योग	2675	2950	10.3	-	-	-	2675	2950	10.3
5.	परमाणु ऊर्जा	6771	21550	218.3	1671	10820	547.5	8442	32370	283.4
6.	रसायन और पैट्रो रसायन	191	300	57.1	5516	2744	-50.3	5707	3044	-46.7
7.	उर्वरक	1013	1050	3.7	4474	4850	8.4	5487	5900	7.5
8.	नागर विमानन्	204	400	96.1	9228	12528	35.8	9432	12928	37.1
9.	कोयला	2233	1050	-53.0	14823	30541	106.0	17056	31591	85.2
10.	खान	950	1271	33.8	4873	8187	68.0	5823	9458	62.4
11.	वाणिज्य	1876	4547	142.4	169	15	-91.1	2045	4562	123.1
12.	औद्योगिक नीति और संवर्धन	2113	2000	-5.3	-	-	-	2113	2000	-5.3
13.	सुचना प्रौद्योगिकी	1236	2714	119.6	619	2778	348.8	1855	5492	196.1
14.	डाक	443	1350	204.7	-	-	-	443	1350	204.7
15.	दूर-संचार	915	1500	63.9	86435	85484	-1.1	87350	86984	-0.4
16.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण	236	250	5.9	620	485	-21.8	856	735	-14.1
17.	उपभोगता मामले	52	55	5.8	-	-	-	52	55	5.8
18.	विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	0	-
19.	पुर्वात्तर क्षेत्र का विकास	-	150	-	-	-	-	-	150	-

अनुलग्नक 3 ख

केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों के लिए बजटीय सहायता, आई.ई.बी.आर. तथा परिव्यय: नौवी योजना प्राप्ति तथा दसवीं योजना प्रक्षेपण

(2001-02 कीमतों पर करोड़ रू.)

क्रम सं.	मंत्रालय / विभाग	बजटीय समरथन नौवी योजना प्राप्ति	बजटीय समरथन दसवीं योजना प्रक्षेपण	बजटीय समरथन % वृद्धि	आई ई बी आर नौवी योजना प्राप्ति	आई ई बी आर दसवीं योजना प्रक्षेपण	आई ई बी आर % वृद्धि	कुल परिव्यय नौवी योजना प्राप्ति	कुल परिव्यय दसवीं योजना प्रक्षेपण	कुल परिव्यय % वृद्धि
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
20.	पर्यावरण और वन	3186	5945	86.59	-	-	-	3186	5945	86.59
21.	विदेश मंत्रालयं	1803	2811	55.9	-	-	-	1803	2811	55.9
22.	आर्थिक कार्य	2931	300	-89.8	-	-	-	2931	300	-89.8
23.	व्यय	15	2	-86.7	-	-	-	15	2	-86.7
24.	राजस्व	3	1	-66.7	-	-	-	3	1	-66.7
25.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	216	650	200.9	-	-	-	216	650	200.9
26.	स्वास्थ्य	5314	9253	74.1	-	-	-	5314	9253	74.1
27.	परिवार कल्याण	15088	27125	79.8	-	-	-	15088	27125	79.8
28.	भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति तथा होम्योपैथी	322	775	140.7	-	-	-	322	775	140.7
29.	मोटे उद्योग	958	700	-26.9	1649	1363	-17.3	2607	2063	-20.9
30.	सरकारी उद्यम	-	50	-	-	-	-	-	50	-
31.	गृह कार्य	707	2000	182.9	-	-	-	707	2000	182.9
32.	प्राथ्मिक ाशक्षा और सारूप्त	23792	30000	26.1	-	-	-	23792	30000	26.1
33.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा	-	13825	-	-	-	-	-	13825	-
34.	महिला और बाल कल्याण विकास	6729	13780	104.8	-	-	-	6729	13780	104.8
35.	सूचना और प्रसारण	965	2380	146.6	2209	2750	24.5	3174	5130	61.6
36.	श्रम	510	1500	194.1	-	-	-	510	1500	194.1
37.	कम्पनी कार्य	1	50	4900.0	-	-	-	1	50	4900.0
38.	न्याय	397	700	76.3	-	-	-	397	700	76.3
39.	अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत	1721	4000	132.4	2140	3167	48.0	3861	7167	85.6
40.	समुद्र विकास	498	1125	125.9	-	-	-	498	1125	125.9

अनुलग्नक 3 ख

केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों के लिए बजटीय सहायता, आई.ई.बी.आर. तथा परिव्यय: नौवी योजना प्राप्ति तथा दसवीं योजना प्रक्षेपण

(2001-02 कीमतों पर करोड़ रू.)

क्रम सं.	मंत्रालय / विभाग	बजटीय समरथन नौवी योजना प्राप्ति	बजटीय समरथन दसवीं योजना प्रक्षेपण	बजटीय समरथन % वृद्धि	आई ई बी आर नौवी योजना प्राप्ति	आई ई बी आर दसवीं योजना प्रक्षेपण	आई ई बी आर % वृद्धि	कुल परिव्यय नौवी योजना प्राप्ति	कुल परिव्यय दसवीं योजना प्रक्षेपण	कुल परिव्यय % वृद्धि
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
41.	कार्मिक लोक शिकायत तथा पेशन	78	250	220.5	-	-	-	78	250	220.5
42.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	-	-	-	70338	103656	47.4	70338	103656	47.4
43.	योजना आयोग	614	340	-44.6	-	-	-	614	340	-44.6
44.	विद्युत	14907	25000	67.7	29785	118399	297.5	44692	143399	220.9
45.	रेलवे	16491	27600	67.4	34120	33000	-3.3	50611	60600	19.7
46.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	19393	35000	80.5	18279	24700	35.1	37672	59700	58.5
47.	पेयजल आपूर्ति	8052	14200	76.4	-	-	-	8052	14200	76.4
48.	भू - संसाधन	2404	6526	171.5	-	-	-	2404	6526	171.5
49.	ग्राम विकास	43273	56748	31.1	-	-	-	43273	56748	31.1
50.	जैव- प्रौद्योगिकी	669	1450	116.7	-	-	-	669	1450	116.7
51.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	1635	3400	108.0	11	-	-	1646	3400	106.6
52.	वैज्ञानिक और औधोनीक अनुसंधान	1478	2575	74.2	-	-	-	1478	2575	74.2
53.	नौवहन	696	2350	237.6	6350	11870	86.93	7045.87	14220	101.8
54.	लधु उद्योग	-	2200	-	666	384	-42.3	666	2584	288.0
55.	सामाजिक न्याय और अधिकाटिता	5404	8530	57.8	-	-	-	5404	8530	57.8
56.	अन्तरिक्ष	7097	13250	86.7	-	-	-	7097	13250	86.7
57.	स्सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	215	725	237.2	-	-	-	215	725	237.2
58.	इस्पात	85	65	-23.5	8882	10978	23.6	8967	11043	23.2
59.	कपड़ा	1836	3500	90.6	42	80	90.5	1878	3580	90.6
60.	पर्यटन	640	2900	353.1	171	-	-	811	2900	257.6

अनुलग्नक 3 ख

केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों के लिए बजटीय सहायता, आई.ई.बी.आर. तथा परिव्ययः नौवीं योजना प्राप्ति तथा दसवीं योजना प्रक्षेपण

(2001-02 कीमतों पर करोड़ रू.)

क्रम सं.	मंत्रालय / विभाग	बजटीय समर्थन			आई ई बी आर			कुल परिव्यय		
		नौवीं योजना प्राप्ति	दसवीं योजना प्रक्षेपण	% वृद्धि	नौवीं योजना प्राप्ति	दसवीं योजना प्रक्षेपण	% वृद्धि	नौवीं योजना प्राप्ति	दसवीं योजना प्रक्षेपण	% वृद्धि
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
61.	संस्कृति	740	1720	132.4	-	-	-	740	1720	132.4
62.	जन जातीय मामले	654	1754	168.2	-	-	-	654	1754	168.2
63.	शहरी विकास	4754	7000	47.2	2571	5168	101.0	7325	12168	66.1
64.	शहरी रोजगार और निर्धनता उन्मूलन	1150	4050	252.2	8644	13501	56.2	9794	17551	79.2
65.	जल संसाधन	1955	3600	84.1	-	-	-	1955	3600	84.1
66.	युवा मामले और खेल	980	1825	86.2	-	-	-	980	1825	86.2
	जोड़	**233272**	**405735**	**73.9**	**314285**	**487448**	**50.09**	**547557**	**893183**	**65.0**

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित दसवीं योजना (2002-07) परिव्यय

(प्रमुख विकास शीर्ष)

(2001-02 कीमतों पर करोड़ रुपये)

	क्षेत्रक / राज्य	आन्ध्र प्रदेश	अरूणाचल* प्रदेश	असम*	बिहार	छत्तीसगढ़	गोआ	गुजरात	हरियाणा*	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कस्मीर	झारखण्ड*	कर्नाटक*	केरल*
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	2333.21	515.31	664.98	536.11	860.97	158.34	3548.71	469.53	1201.69	1507.80	824.85	2346.94	1125.00
		(5.0)	(13.3)	(8.0)	(2.6)	(7.8)	(4.9)	(8.9)	(4.6)	(11.7)	(10.4)	(5.6)	(5.4)	(4.7)
2.	ग्राम विकास	4592.07	158.17	582.61	4136.50	1158.91	84.50	1361.94	305.85	438.16	374.10	3272.33	2227.72	569.75
		(9.9)	(4.1)	(7.0)	(19.7)	(10.5)	(2.6)	(3.4)	(3.0)	(4.3)	(2.6)	(22.4)	(5.1)	(2.4)
3.	विशेष और कार्यक्रम	1123.52	65.00	56.40	40.69	0.00	18.00	38.30	147.37	20.80	771.87	0.00	640.74	100.00
		(2.4)	(1.7)	(0.7)	(0.2)	(0.0)	(0.6)	(0.1)	(1.4)	(0.2)	(5.3)	(0.0)	(1.5)	(0.4)
4.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	10844.98	184.37	645.33	6016.87	2506.65	222.90	8810.05	1541.04	453.18	805.79	2076.70	14176.57	930.00
		(23-3)	(4-7)	(7-8)	(28-7)	(22-8)	(7-0)	(22-0)	(15-0)	(4-4)	(5-6)	(14-2)	(32-5)	(3-9)
5-	Åtk	7141-72	498-12	837-04	2735-44	133-25	405-00	6018-93	1400-47	1235-00	2885-74	814-00	2266-95	3500-00
		(15-3)	(12-8)	(10-1)	(13-0)	(1-2)	(12-7)	(15-0)	(13-6)	(12-0)	(19-9)	(5-6)	(5-2)	(14-6)
6-	m|kx vkj [kfut	1655-11	76-36	237-04	241-50	214-12	116-40	2068-45	84-34	104-73	435-15	473-87	1452-87	1328-75
		(3-6)	(2-0)	(2-9)	(1-2)	(1-9)	(3-6)	(4-2)	(0-8)	(1-0)	(3-0)	(3-2)	(3-3)	(5-5)
7	ifjogu	3994-19	824-42	879-32	1303-12	451-64	392-84	1851-39	1286-65	1635-94	1640-70	1287-64	4854-44	2660-00
		(8-6)	(21-2)	(10-6)	(6-2)	(4-1)	(12-3)	(4-6)	(12-5)	(15-9)	(11-3)	(8-8)	(11-1)	(11-1)
8-	lpkj	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	34-05	0-00	2-11	0-00	0-00	0-00	0-00
		(0-0)	(0-0)	(0-0)	(0-0)	(0-0)	(0-0)	(0-9)	(0-0)	(0-02)	(0-0)	(0-0)	(0-0)	(0-0)
9-	foKku] ik|kfxdh rFkk i;koj.k	11-20	4-62	8-15	0-00	10-83	4-75	326-01	8-48	6-42	36-19	330-00	25-78	120-00
		(0-0)	(0-1)	(0-1)	(0-0)	(0-1)	(0-1)	(0-8)	(0-1)	(0-1)	(0-2)	(2-3)	(0-1)	(0-5)
10-	lkekU; vkfFkd lok,	804-80	231-70	217-59	352-89	169-19	159-75	838-87	512-35	223-74	1734-91	189-52	895-63	1168-05
		(1-7)	(6-0)	(2-6)	(1-7)	(1-5)	(5-0)	(2-1)	(5-0)	(2-2)	(12-0)	(1-3)	(2-1)	(4-9)
11-	lkekftd lok,	13634-04	1239-33	4157-11	5076-73	5256-15	1526-52	15089-45	4311-08	4893-48	4016-43	4847-14	14182-98	4360-45
		(29-2)	(31-9)	(50-0)	(24-2)	(47-8)	(47-7)	(37-7)	(41-9)	(47-5)	(27-7)	(33-1)	(32-6)	(18-2)
12-	lkekU; lok,	479-16	90-92	29-65	560-15	238-29	111-00	20-85	217-84	84-75	290-82	516-69	487-60	8188-00
		(1-0)	(2-3)	(0-4)	(2-7)	(2-2)	(3-5)	(0-1)	(2-1)	(0-8)	(2-0)	(3-5)	(1-1)	(20-9)
	dy ;kx	**46614-00**	**3888-32**	**8315-22**	**21000-00**	**11000-00**	**3200-00**	**40007-00**	**10285-00**	**10300-00**	**14500-00**	**14632-74**	**43558-22**	**24000-00**
		(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित दसवीं योजना (2002-07) परिव्यय
(प्रमुख विकास शीर्ष)

(2001-02 कीमतों पर करोड़ रूपये)

क्षेत्रक / राज्य	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	सिक्किम*	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश
	14.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1. कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	1581.52	4248.62	113.86	299.60	161.98	255.50	1165.20	635.41	1649.48	174.99	3932.05	450.0	5142.40
	(6.01)	(6.4)	(4.1)	(10.0)	(7.0)	(11.5)	(6.1)	(3.4)	(6.0)	(10.6)	(9.1)	(10.0)	(8.6)
2. ग्राम विकास	2881.16	6919.72	120.91	208.18	156.65	180.08	897.91	1276.50	2298.84	74.00	4100.00	540.00	7127.91
	(11.0)	(10.4)	(4.3)	(6.9)	(6.8)	(8.1)	(4.7)	(6.8)	(8.4)	(4.5)	(10.3)	(12.0)	(11.9)
3. विशेष और कार्यक्रम	0.00	373.22	22.88	44.70	40.37	44.55	0.00	134.37	169.22	30.00	0.00	315.00	1000.00
	(0.0)	(0.6)	(0.8)	(1.5)	(1.8)	(2.0)	(0.0)	(0.7)	(0.7)	(1.8)	(0.0)	(7.0)	(1.7)
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	4915.89	15255.01	368.54	97.40	28.28	41.00	4099.21	2611.51	2767.88	31.00	2375.00	360.00	7607.35
	(18-8)	(22-9)	(13-1)	(3-2)	(1-2)	(1-8)	(21-6)	(14-0)	(10-1)	(1-9)	(5-9)	(8-0)	(12-7)
5- Åtk	5506-20	10163-51	230-51	505-77	194-85	248-45	2864-88	5982-73	7260-74	242-90	8029-65	225-00	9611-99
	(21-0)	(15-3)	(8-2)	(16-8)	(8-5)	(11-2)	(15-1)	(32-1)	(26-6)	(14-7)	(20-1)	(5-0)	(16-1)
6- m|kx vkj [kfut	202-38	716-56	332-94	144-00	60-38	192-05	109-33	55-88	955-66	62-00	555-00	135-00	1262-46
	(0-8)	(1-1)	(11-9)	(4-8)	(2-6)	(8-6)	(1-6)	(0-3)	(3-5)	(3-7)	(1-4)	(3-0)	(2-1)
7- ifjogu	1353-05	5217-21	223-48	540-30	481-90	170-35	1959-91	2711-50	3039-79	265-00	6734-00	495-00	6740-25
	(5-2)	(7-8)	(8-0)	(18-0)	(21-0)	(7-6)	(10-3)	(14-5)	(11-1)	(16-0)	(16-8)	(11-0)	(11-3)
8- lpkj	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	9-00	0-00
	(0-0)	(0-0)	(0-0)	(0-0)	(0-0)	(0-0)	(0-0)	(0-0)	(0-0)	(0-0)	(0-0)	(0-20)	(0-0)
9- foKku] ik|kfxdh rFkk i;koj.k	59-70	55-25	17-22	7-90	5-32	4-50	43-11	38-75	12-17	11-00	160-40	13-50	2414-75
	(0-2)	(0-1)	(0-6)	(0-3)	(0-2)	(0-2)	(0-2)	(0-2)	(0-0)	(0-7)	(0-4)	(0-3)	(4-0)
10- lkekU; vkfFkd lok,	759-66	2849-51	245-21	59-70	125-55	228-03	2285-04	150-15	1089-89	44-40	175-60	67-50	2297-25
	(2-9)	(4-3)	(8-7)	(2-0)	(5-5)	(10-2)	(12-0)	(0-98)	(4-0)	(2-4)	(0-4)	(1-5)	(3-8)
11- lkekftd lok,	7634-97	19233-21	1032-00	1034-35	956-87	738-40	5075-89	4858-37	7996-77	666-25	13653-55	1822-50	16091-19
	(29-2)	(28-9)	(36-8)	(34-4)	(41-6)	(33-1)	(26-7)	(26-0)	(29-3)	(40-2)	(34-1)	(40-5)	(26-9)
12- lkekU; lok,	1295-40	1600-18	96-45	67-10	87-86	124-77	499-52	201-83	87-56	58-20	288-75	67-50	412-45
	(4-9)	(2-4)	(3-4)	(2-2)	(3-8)	(5-6)	(2-6)	(1-1)	(0-3)	(3-5)	(1-7)	(1-5)	(0-7)
dy ;kx	**26189-93**	**66632-00**	**2804-00**	**3009-00**	**2300-01**	**2227-65**	**19000-00**	**18657-00**	**27318-00**	**1655-74**	**40000-00**	**4500-00**	**59708-00**
	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)	(100-0)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित दसवीं योजना (2002-07) परिव्यय

(प्रमुख विकास शीर्ष)

(2001-02 कीमतों पर करोड़ रूपये)

क्षेत्रक / राज्य	उत्तरांचल	पश्चिम बंगाल	राज्य जोड़ (1 से 28)	अंडमान व निकोबार	चन्डीगढ़	दादरा व नागर हवेली	दमन व द्वीव	fnYyh	लक्ष्यद्वीप *	पाड़िचेरी *	संघ राज्यक्षेत्र (जोड़ 30 से 36)	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (जोड़ 29 से 37)
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1. कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	694.92	914.63	37513.60	177.77	20.33	27.84	9.23	137.45	106-84	195.80	675.25	38188.85
	(9.1)	(3.2)	(6.7)	(7.2)	(2.0)	(9.2)	(3.8)	(0.6)	(24.4)	(10.3)	(2.3)	(6.5)
2. ग्राम विकास	420.52	3797.69	50262.65	150.84	10.17	10.53	10.58	463.25	5.60	31.52	682.49	50945.14
	(5.5)	(13.3)	(9.0)	(6.1)	(1.0)	(3.5)	(4.3)	(2.0)	(1.3)	(1.7)	(2.3)	(8.6)
3. विशेष और कार्यक्रम	3.88	1063.79	6264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6264.67
	(0.1)	(3.7)	(1.1)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(1.1)
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	178.53	1898.66	91849.09	27.57	2.00	12.00.	4.52	156.00	17.34	73.70	293.73	92143.42
	(2·3)	(6·6)	(16·4)	(1·1)	(0·2)	(4·1)	(1·8)	(0·7)	(4·0)	(3·9)	(1·0)	(15·6)
5· Åtk	1943·68	7855·50	90738·02	207·43	109·42	77·75	51·49	3457·50	20·38	165·60	4089·56	94827·58
	(25·5)	(27·4)	(16·2)	(8·4)	(10·9)	(25·6)	(21·0)	(15·0)	(4·7)	(8·7)	(13·9)	(16·0)
6· m|kx vkj [kfut	83·02	1509·84	14865·69	37·46	1·90	1·70	1·95	100·00	5·06	173·00	321·07	15196·76
	(1·1)	(5·3)	(2·6)	(1·5)	(0·2)	(0·6)	(0·8)	(0·4)	(1·2)	(9·1)	(1·1)	(2·6)
7 ifjogu	1089·06	2799·17	56878·26	978·19	46·20	62·74	66·95	5446·71	146·15	180·26	7927·20	63805·46
	(14·3)	(9·8)	(10·1)	(39·4)	(4·6)	(20·6)	(27·3)	(23·7)	(33·4)	(9·5)	(23·6)	(10·8)
8· lpkj	0·00	0·00	45·16	9·08	0·00	0·00	0·00	0·00	0·00	0·00	9·08	54·24
	(0·0)	(0·0)	(0·01)	(0·37)	(0·0)	(0·0)	(0·0)	(0·0)	(0·0)	(0·0)	(0·03)	(0·01)
9· foKku] ik|kfxdh rFkk i;koj.k	62·06·	155·19	3953·25	2·12	3·30	0·35	0·80	55·00	7·08	3·16	71·81	4025·06
	(0·8)	(0·5)	(0·7)	(0·1)	(0·3)	(0·1)	(0·3)	(0·2)	(1·6)	(0·2)	(0·2)	(0·7)
10· lkekU; vkfFkd lok,	235·35	258·47	18356·30	60·98	19·65	6·17	6·26	107·30	51·19	81·75	333·30	18689·60
	(3·1)	(0·9)	(3·3)	(2·5)	(2·0)	(2·0)	(2·6)	(0·5)	(11·7)	(4·3)	(1·1)	(3·2)
11· lkekftd lok,	2840·85	7867·80	174093·86	765·86	771·45	97·82	84·05	12247·40	54·84	924·40	14945·42	189039·68
	(37·2)	(27·5)	(31·0)	(30·7)	(77·1)	(32·2)	(34·4)	(53·2)	(12·5)	(48·5)	(50·9)	(32·0)
12· lkekU; lok,	78·13	520·26	16751·68	65·70	15·59	6·50	9·17	829·39	22·53	77·30	1026·17	17777·85
	(1·0)	(1·8)	(3·0)	(2·6)	(1·6)	(2·1)	(3·7)	(3·6)	(5·2)	(4·1)	(3·5)	(3·0)
dy ;kx	**7630·00**	**28641·00**	**561572·83**	**2483·00**	**1000·00**	**304·00**	**245·00**	**23000·00**	**437·00**	**1906·49**	**29375·49**	**590948·32**
	(100·0)	(100·0)	(100·0)	(100·0)	(100·0)	(100·0)	(100·0)	(100·0)	(100·0)	(100·0)	(100·0)	(100·0)

अनुलग्नक 3 ?k

दसवीं योजना के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त आवंटन

(2001-02 कीमतों पर करोड़ रूपए)

क्रम सं.	क्षेत्रक	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजना	राशि
1.	स्वास्थ्य	द्विपीयक / तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुधार	1400
2.	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ बनाना	100
3.	शिक्षा	शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में माध्यमिक शिक्षा तक सुलभता	300
4.	शिक्षा	व्यावस्यायिक शिक्षा मिशन	650
5.	ग्राम विकास	जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना	5000
6.	कृषि	अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी आनतरण के लिए कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान	500
7.	कृषि	सखे से बचाव (क) वाटरशेड विकास (ख) परती भूमि विकास (ग) जे.एफ.एम (घ) कृषि वानिकी	4000
8.	कृषि	चल खेती का नियंत्रणं	400
9.	पर्यटन	विश्व विरायत स्थलों/पर्यटन केन्द्रों का विकास	1000
10.	सिंचाई	ए.आई.बी.पी. (विस्तार, पुनरूधार, आद्युनिकिकरण)	5000
11.	शहरी विकास	शहरी स्वचNता मिशन	2000
12.	योजना आयोग	.आतंकवादी प्रभावित जिलें (आर.एस.वी.वाई)	1000
13.	सड़के	राज्य राज्समार्गों पर सफर करने की कोटि में सुधार	2000
14.	विधुत	त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम	3500
15.	विशेषा क्षेत्र कार्यक्रम	विशेषा राज्य उपाय (जैसे की मैट्रीकोत्तर छात्रवृत्तियां अ.ज.,अ.ज.ज., के लिए विशेषा ; ई.ए.पी.आदि)	14658
		जोड़ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ;kstuk	**41508**

टिप्पणी : आवंटित राशि, संलग्नक 3 ग में वर्णित प्रमुख राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र योजना पाव्ययय के अलावा है।